

परियोजना धेनुधरा (PROJECT DHENUDHARA)

मरुभूमि पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार, वैदिक कृषि-कार्बन प्रच्छादन एवं आपातकालीन गोवंश संरक्षण महा-अभियान

लक्षित परितंत्र: थार मरुस्थल गलियारा (IGNP स्टेज-II से भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा), जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान

संस्थागत संरक्षक एवं नेतृत्व मंडल

- संयुक्त प्रस्तावक संस्थाएं: गोवैदिक एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U01139RJ2024PTC096470) एवं इंडियन सोसाइटी फॉर काउ प्रोटेक्शन (ISSCOP, पंजीकरण संख्या: 16/जैसल/2001, दिनांक: 28.05.2001)
- प्रेरणास्रोत एवं नेतृत्व: भक्तवत्सल दास (भगवान प्रसाद सूत्रधार) - संस्थापक एवं सचिव, ISSCOP; निदेशक, गोवैदिक एग्रो (थार शुष्क कृषि एवं गो-पारिस्थितिकी के 30+ वर्षों के शोधकर्ता)
- निदेशक: हितेशभाई हर्षिगभाई चौधरी (निदेशक, गोवैदिक एग्रो प्रा. लि.)
- पंजीकृत कार्यालय: मार्फत किशन लाल, ग्राम-काठोड़ी जैसलमेर, राजस्थान - 345001 | वेबसाइट: <https://govedic.org>

अति-संवेदनशील जलवायु आपदा एवं 60-90 दिनों का जीवन-मरण का समय

पश्चिमी राजस्थान में इस वर्ष पिछले 17 वर्षों का सबसे भीषणतम सूखा पड़ा है। प्राकृतिक चारागाह (सेवण घास) पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। भारत-पाक सीमावर्ती गांवों के स्थानीय किसान चारे-पानी के गंभीर अभाव के कारण अपने हजारों थारपारकर गोवंश, बैलों और नंदी को सुदूर निर्जन मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूखा मरने के लिए छोड़ने को विवश हो रहे हैं। नवंबर माह से थार मरुस्थल में भीषण सर्दी प्रारंभ हो रही है, जिससे अगले 60 से 90 दिनों में लाखों गोवंश की मृत्यु का संकट है। 10,000 मुरब्बा निजी लीज भूमि पर तुरंत शीतकालीन व बहु-कटाई चारे (जई, जौ एवं 5-कटाई मीठी ज्वार SSG 59-7) की खेती करके ही इस गोवंश को बचाया जा सकता है।

1. कार्यकारी सारांश एवं परियोजना परिदृश्य

पश्चिमी राजस्थान का सीमावर्ती जैसलमेर जिला वर्तमान में एक अभूतपूर्व पारिस्थितिकीय संकट के साथ-साथ एक ऐतिहासिक वैश्विक अवसर के केंद्र में है। 'परियोजना धेनुधरा' का मूल उद्देश्य वैश्विक स्वैच्छिक कार्बन बाजार (Voluntary Carbon Market), कॉर्पोरेट सीएसआर (CSR) अनुदान, तथा भारत सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के माध्यम से विशाल मरुभूमि को हरा-भरा बनाना, मृदा कार्बन बढ़ाना, और संकटग्रस्त गोवंश को बचाकर स्थायी वैदिक कृषि इकाइयों में स्थापित करना है।

1.1 परियोजना हेतु निर्धारित तीन प्रमुख भूमि क्षेत्र (Three Strategic Land Patches)

- भूखंड 1: 10,000 मुरब्बा निजी भूमि (~62,500 हे. / 1,54,000 एकड़ - 20-वर्षीय लीज):** IGNP नहर टेल पर स्थित। व्यास नदी पर पोंग बांध (जिससे यह नहर आ रही है) के विस्थापित हिमाचल के किसानों को आवंटित। कठिन जलवायु व जल/सड़क के अभाव में अब तक खाली पड़ी। किसानों ने गोवैदिक एग्रो को 20 वर्ष के विकास पट्टे पर दी है।
- भूखंड 2: 400 वर्ग किमी सरकारी बंजर भूमि ('0' RD मोहनगढ़ के समीप):** 2,500 वर्ग किमी बंजर पट्टी का प्रथम 400 वर्ग किमी भाग जो 0 RD मोहनगढ़ के समीप है। चारागाह विकास, नर्सरी व सौर लिफ्ट सिंचाई हेतु सरकार से आवंटन अनुमति प्रस्तावित।

- **भूखंड 3: 2,100 वर्ग किमी सुदूर सीमावर्ती गलियारा (7 जिलों का महा-चारा बैंक):** नहर टेल व अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मध्य स्थित 2,100 वर्ग किमी क्षेत्र। पश्चिमी राजस्थान के 7 जिलों (जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरौही) के गोवंश हेतु स्थायी 'महा-चारा बैंक' (Strategic Fodder Bank) स्थापित करने हेतु सरकार से अनुमति मांगी गई है।

1.2 प्राकृतिक संपदा का संगम एवं क्रियान्वयन योजना

- **सरस्वती नदी का भूगर्भीय मीठा जल:** वर्ष 2001 के भूकंप के उपरांत प्राचीन पावन सरस्वती नदी का मीठा भूगर्भीय जल काठोड़ी-मोहनगढ़-लाठी पट्टी में 180-300 फीट पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो नलकूपों द्वारा नहर बंदी में भी सुरक्षित है।
- **प्रथम चरण (आपातकालीन चारा मिशन):** 10,000 मुरब्बा लीज भूमि पर नवंबर से जई, फरवरी से जौ तथा मार्च से 5-कटाई मीठी ज्वार (SSG 59-7) की खेती कर 1,00,000 से अधिक गोवंश के प्राणों की रक्षा करना।
- **द्वितीय चरण (5-वर्षीय वैदिक कृषि व महा-चारा बैंक):** इन्हीं 10,000 मुरब्बों को '1 यूनिट वैदिक कृषि' (6.25 हे. / ₹2.10 करोड़) में विकसित कर वेरा कार्बन क्रेडिट प्राप्त करना और 2,100 वर्ग किमी पर 7 जिलों का महा-चारा बैंक स्थापित करना।

2. कार्बन क्रेडिट कार्यप्रणाली एवं वित्तीय संरचना

विश्वभर के संस्थागत निवेशक और औद्योगिक संस्थान अब केवल कागजी या कम प्रभाव वाले कार्बन क्रेडिट के स्थान पर उच्च-गुणवत्ता वाले प्रकृति-आधारित कार्बन रिमूवल (Nature-based Carbon Removals) में निवेश कर रहे हैं। मरुस्थलीकरण रोकने और मृदा कार्बन बढ़ाने वाली परियोजनाओं के कार्बन क्रेडिट \$18 से \$35+ प्रति टन CO₂e के प्रीमियम मूल्य पर बिकते हैं।

2.1 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रमाणन पद्धतियां

मानक / रजिस्ट्री	पद्धति कोड	मुख्य गतिविधि	कार्बन सोखने की प्रक्रिया
वेरा (Verra VCS)	VM0042	उन्नत कृषि भूमि प्रबंधन (ALM)	गोबर खाद (थार ब्लैक गोल्ड) एवं जीवामृत के प्रयोग से मृदा जैविक कार्बन (SOC) संवर्धन तथा बैलों द्वारा शून्य-उत्सर्जन जुताई।
वेरा (Verra VCS)	AR-ACM0003 / VM0007	बंजर भूमि वनीकरण एवं पुनर्वनस्पति (ARR)	स्थानीय मरुस्थलीय वृक्षों (खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, मोरिंगा) की बहुस्तरीय हरित पट्टी द्वारा काष्ठीय बायोमास कार्बन संचय।
गोल्ड स्टैंडर्ड (Gold Standard)	पुनर्योजी कृषि (Regen Ag)	मृदा स्वास्थ्य व जल संवर्धन	सूक्ष्म-ड्रिप सिंचाई, शून्य रासायनिक खाद, और पशु अपशिष्ट से बायोगैस व वर्मीकम्पोस्ट निर्माण।
पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC)	ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)	बंजर भूमि वृक्षारोपण	बंजर सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी ग्रीन क्रेडिट्स।

2.2 मृदा जैविक कार्बन (SOC) रसायन एवं गणना

जैसलमेर की अनुपजाऊ बालूरेत में प्राकृतिक मृदा जैविक कार्बन (SOC) 0.08% से 0.12% से भी कम होता है। गोवैदिक की वैदिक कृषि पद्धति के अंतर्गत:

- **जैविक सक्रियण:** प्रति हेक्टेयर 15 से 20 मीट्रिक टन परिपक्व 'थार ब्लैक गोल्ड' गोबर खाद, वर्मीकम्पोस्ट तथा तरल जीवामृत व घनजीवामृत का नियमित प्रयोग।
- **मृदा कार्बन संचय:** शीर्ष मृदा (0-30 सेमी) में SOC को 0.10% से बढ़ाकर 0.40% तक ले जाने पर प्रति हेक्टेयर लगभग 13.5 टन CO₂e के समतुल्य कार्बन भूमि में स्थायी रूप से संचित होता है।
- **मरु वनीकरण बायोमास:** प्रति हेक्टेयर 400 स्थानीय वृक्ष (खेजड़ी - राज्य वृक्ष, रोहिड़ा, बेर, सहजन) लगाने से वृक्षों के बायोमास में प्रतिवर्ष 2.5 से 4.0 टन CO₂e प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त संचय होता है।
- **मीथेन उत्सर्जन रोकथाम:** गोबर को खुले में सड़ने देने के बजाय बायोगैस संयंत्रों में प्रसंस्कृत करने से मीथेन गैस का हानिकारक उत्सर्जन रुकता है और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होती है।

2.3 10,000 मुरब्बों (62,500 हेक्टेयर) पर कार्बन क्रेडिट एवं आय अनुमान

- **कुल परियोजना क्षेत्रफल:** 10,000 मुरब्बे = 62,500 हेक्टेयर (लगभग 1,54,400 एकड़)।
- **औसत वार्षिक कार्बन प्रच्छादन दर:** 4.0 टन CO₂e प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष (मृदा व वृक्षों का औसत)।
- **प्रतिवर्ष जारी कार्बन क्रेडिट्स:** 2,50,000 मीट्रिक टन CO₂e प्रति वर्ष।
- **10 वर्षों में कुल कार्बन क्रेडिट्स:** 25,00,000 (25 लाख) वेरीफाइड कार्बन यूनिट्स (VCUs)।
- **अनुमानित वार्षिक कार्बन आय (@ \$20/टन):** \$50 लाख डॉलर (~₹41.50 करोड़) प्रति वर्ष, जो 10 वर्षों में ₹415 करोड़ से अधिक का शुद्ध राजस्व अर्जित कर सकता है।

3. 90 दिवसीय आपातकालीन चारा मिशन: गोवंश रक्षा अभियान

चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कार्बन प्रमाणन में 12 से 24 माह का समय लगता है, जबकि गोवंश के पास केवल 60 से 90 दिनों का जीवन बचा है। इसलिए गोवैदिक इस आपातकालीन राहत कार्य को कार्बन ऑडिट की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत प्रारंभ करेगा।

3.1 फसलों का वैज्ञानिक चयन: जई, जौ एवं बहु-कटाई ज्वार (SSG 59-7)

- **प्रथम फसल: शीतकालीन जई (Avena sativa, केंट प्रजाति):** बुवाई 25 अक्टूबर से 25 नवंबर। 50 से 60 दिनों में (दिसंबर/जनवरी) प्रथम कटाई हेतु तैयार। उच्च प्रोटीनयुक्त सुपाच्य हरा चारा प्रति मुरब्बा 400-500 क्विंटल उत्पादन देता है, जिससे भूखे गोवंश का पाचन तंत्र तुरंत स्वस्थ होता है।
- **द्वितीय फसल: बहुउद्देश्यीय जौ (Hordeum vulgare, RD-2035):** बुवाई 15 जनवरी से 25 फरवरी। अत्यधिक सूखा-सहनशील एवं खारे भूजल में भी सक्षम। मात्र 2 से 3 हल्की सिंचाइयों में प्रचुर सूखा चारा (कुट्टी) तथा शीतकाल में पशु ऊर्जा हेतु पौष्टिक दाना प्रदान करता है।
- **तृतीय फसल: बहु-कटाई मीठी ज्वार (Sorghum bicolor, SSG 59-7 'मीठी चरी', 5 Multi-Cut):** बुवाई मार्च से जून। 45°C+ तापमान में भी अत्यधिक सूखा-सहनशील, मीठे रसदार तने युक्त। 5 बार निरंतर कटाई (5 Multi-Cuts) देकर भीषण गर्मी में हरा चारा तथा 7 जिलों के महा-चारा बैंक हेतु भारी सूखा चारा प्रदान करती है।

3.2 जल प्रबंधन: दोहरा स्रोत मॉडल

- **IGNP नहर साइफन:** IGNP स्टेज-II के 1452 RD के टेल वितरिकाओं से सौर साइफन व लिफ्ट पंपों द्वारा अतिरिक्त जल को सीधे खोदी गई कच्ची डिग्रियों में संग्रहित करना।

- **सरस्वती भूगर्भीय नलकूप:** काठोड़ी-मोहनगढ़ क्षेत्र में 180-300 फीट पर स्थित सरस्वती बेसिन के मीठे पानी के नलकूपों पर 10-15 HP के सौर सबमर्सिबल पंप लगाना, जो नहर बंदी के समय भी निरंतर जल उपलब्ध कराते हैं।

4. दीर्घकालिक रूपांतरण: '1 यूनिट वैदिक कृषि' मॉडल

आपातकालीन चारे के पश्चात प्रत्येक 6.25 हेक्टेयर (1 मुरब्बा) भूमि को भगवान प्रसाद सूत्रधार (भक्तवत्सल दास) के 30+ वर्षों के शोध पर आधारित आत्मनिर्भर वैदिक कृषि इकाई में स्थायी रूप से विकसित किया जाएगा।

4.1 यूनिट विनिर्देश एवं भूमि उपयोग

- **इकाई क्षेत्रफल:** 1 मुरब्बा = 6.25 हेक्टेयर (~25.75 एकड़ / 100 बीघा)।
- **परियोजना विकास लागत:** ₹2.10 करोड़ प्रति यूनिट (सकल 5-वर्षीय व्यय ₹2.34 करोड़; 5 वर्षों में प्राप्त आय घटाने पर शुद्ध पूंजीगत व्यय ~₹1.80 करोड़)।
- **भूमि विभाजन:** 2.5 हेक्टेयर बहुस्तरीय मरु वनीकरण (खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, मोरिंगा) + 2.5 हेक्टेयर खाद्यान्न व चारा क्षेत्र + 1.25 हेक्टेयर केंद्रीय आधारभूत संरचना परिसर।

4.2 28 मानकीकृत विकास चरण (संक्षिप्त विवरण)

- चरण 01-04: भूमि सीमांकन, उपग्रह मैपिंग, लेजर भूमि समतलीकरण, सौर झटका बाड़ एवं कांटेदार कंटीली जैविक बाड़।
- चरण 05-08: मुख्य नर्सरी स्थापना (25,000 पौधे), प्राथमिक गोबर खाद प्रसार, सूक्ष्म-ड्रिप व फव्वारा सिंचाई नेटवर्क, शेल्टरबेल्ट रोपण।
- चरण 09-13: 15 लाख लीटर पक्की डिग्गी (जलाशय), भूमिगत पाइपलाइन, बैलगाड़ी मार्ग, जीवामृत टैंक, एवं स्थायी वायु-अवरोधक वृक्ष पंक्ति।
- चरण 14: केंद्रीय परिचालन परिसर: (1) गोशाला, (2) नंदीशाला, (3) पारंपरिक तेल घानी, (4) फार्महाउस व जीआरओ आवास, (5) बैल उपकरण कार्यशाला, (6) बायोगैस संयंत्र, (7) वर्मीकम्पोस्ट दानेदार खाद संयंत्र, (8) देशी बीज बैंक, (9) सौर सुखाने का यार्ड, (10) औषधीय पौधा प्रसंस्करण, (11) मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, (12) सोलर माइक्रोग्रिड, (13) साइलेज गड्ढे।
- चरण 15-19: बैलों द्वारा शून्य-ईंधन जुताई, दलहनी आवरण फसलें (मोठ, मूंग, ग्वार), आईओटी मृदा कार्बन सेंसर, जैविक प्रमाणन ऑडिट।
- चरण 20-23: व्यावसायिक उपज: चारा स्थिरीकरण (₹80,000), जैविक अनाज (₹2,40,000), औषधीय पौधे (₹3,20,000), मरु फल (₹8,00,000)।
- चरण 24-28: 5 ग्रामीण युवाओं (GROs) का प्रशिक्षण, वेरा कार्बन क्रेडिट ऑडिट, थार ब्लैक गोल्ड खाद का विपणन, पारंपरिक बिलोना A2 घी निष्कर्षण, एवं पूर्ण आत्मनिर्भर संचालन।

4.3 5-वर्षीय वित्तीय पूंजीगत व्यय एवं आय विवरण (प्रति 1 मुरब्बा यूनिट)

परियोजना वर्ष	पूंजीगत व्यय (Capex)	प्रमुख परिचालन गतिविधियां	प्राप्त आय	वार्षिक शुद्ध व्यय
प्रथम वर्ष	₹71,92,000	समतलीकरण, डिग्गी, बाड़, सौर पंप, नर्सरी, आपातकालीन चारा	₹0	₹71,92,000
द्वितीय वर्ष	₹1,17,61,240	गोशाला, नंदीशाला, बायोगैस, खाद संयंत्र,	₹0	₹1,17,61,240

वृक्षारोपण				
तृतीय वर्ष	₹17,71,320	ड्रिप सिंचाई समायोजन, मृदा निर्माण, आवरण फसलें, बैल संचालन	₹0	₹17,71,320
चतुर्थ वर्ष	₹6,92,520	नियमित रखरखाव, प्रथम व्यावसायिक फसलें, कार्बन ऑडिट प्रारंभ	₹14,40,000	-₹7,47,480 (बचत)
पंचम वर्ष	₹20,26,520	पूर्ण वृक्षारोपण परिपक्वता, खाद विपणन, कार्बन क्रेडिट प्राप्ति	₹69,20,000	-₹48,93,480 (बचत)
कुल योग	₹2,34,43,600	टर्नकी 5-वर्षीय वैदिक कृषि-कार्बन यूनिट का संपूर्ण विकास	₹83,60,000	₹1,50,83,600 (शुद्ध पूंजी)

परिसंपत्ति सुरक्षा एवं निवेश गारंटी

पांचवें वर्ष के अंत तक प्रत्येक इकाई पर 1,800 पूर्ण विकसित देशी मरुस्थलीय वृक्ष (खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, मोरिंगा) तैयार होते हैं, जिनका न्यूनतम मूल्यांकित जैविक परिसंपत्ति मूल्य ₹1,000 प्रति वृक्ष के अनुसार ₹1,80,00,000 (₹1.80 करोड़) होता है। यह परिसंपत्ति निवेशक की मूल पूंजी को पूर्णतः सुरक्षित करती है।

5. गोवंश का चतुर्दिक संरक्षण: अहिंसक वैदिक प्रबंधन

गोवैदिक एग्रो कोई व्यावसायिक डेयरी फार्म नहीं है। हमारे मौलिक नियमों के अनुसार गोवंश कृषि में पवित्र और अभिन्न भागीदार है। बचाए गए गोवंश को तीन योजनाओं में स्थायी आश्रय दिया जाएगा:

- एडॉप्ट ए काउ प्रोग्राम (AACP):** दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है। बछड़े के पूर्ण तृप्त होने के उपरांत बचे हुए अतिरिक्त दूध से पारंपरिक लकड़ी की मथानी द्वारा वैदिक बिलोना A2 घी तैयार किया जाएगा (बाजार मूल्य: ₹3,000 से ₹4,500 प्रति किग्रा)।
- एडॉप्ट एन ऑक्सेन प्रोग्राम (AAXP):** वयस्क नर गोवंश (बैलों) को कृषि कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। एक जोड़ी बैल 35 HP के डीजल ट्रैक्टर का पूर्ण विकल्प है, जो प्रतिवर्ष लगभग 2,500 लीटर डीजल और 6.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत करता है। बैल तेल घानी और जल पंप भी चलाते हैं।
- एडॉप्ट ए बुल प्रोग्राम (AABP):** वृद्ध, अशक्त और दूध न देने वाली गायों व नंदी को गोवैदिक के काठोड़ी चारागाहों में नंदीशाला में आजीवन सम्मानजनक आश्रय दिया जाता है। इनका गोबर व गोमूत्र 'थार ब्लैक गोल्ड' खाद का प्रमुख आधार बनता है।

6. मिश्रित वित्त पोषण संरचना (Blended Finance Stack)

गोवंश के तात्कालिक संकट और भविष्य में मिलने वाले कार्बन क्रेडिट के समयांतराल को पाटने के लिए तीन-चरणीय वित्त पोषण मॉडल अपनाया जाएगा:

फंडिंग किश्त	लक्षित राशि	समय-सीमा	पूंजी का मुख्य स्रोत	उपयोग का विवरण
किश्त 1: राहत	₹15.00 करोड़	0 से 3 माह	कॉर्पोरेट सीएसआर (अनुसूची	जई व जौ के बीज, सौर

अनुदान	(\$1.8M)		VII), गोसेवा ट्रस्ट, दान	साइफन पंप, पानी की डिगियां, आपातकालीन चारा वितरण।
किश्त 2: कार्बन ईआरपीए	₹50.00 करोड़ (\$6.0M)	3 से 12 माह	कार्बन डेवलपर (ईकेआई एनर्जी, साउथ पोल, कल्टीवो)	वेरा पीडीडी तैयारी, सेटेलाइट एमआरवी, प्रथम 250 यूनिट्स का स्थायी निर्माण।
किश्त 3: विस्तार पूंजी	₹150.00 करोड़ (\$18M)	वर्ष 2 से 5	क्लाइमेट फंड्स, ग्रीन क्रेडिट्स, नाबार्ड	संपूर्ण 10,000 मुरब्बों का विकास, खाद संयंत्र, कोल्ड स्टोरेज, A2 बिलोना घी।

6.1 भारतीय कंपनी अधिनियम अनुसूची VII के तहत पात्रता

भारत के कानून के अनुसार बड़ी कंपनियों को अपने 2% लाभ को सीएसआर में लगाना अनिवार्य है। यह परियोजना तीन मदों में पूर्णतः पात्र है:

- **अनुसूची VII मद (iv):** पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिकीय संतुलन, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, तथा मृदा व जल संरक्षण।
- **अनुसूची VII मद (ii):** ग्रामीण युवाओं (Gen Z) में रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण (GROs)।
- **अनुसूची VII मद (x):** सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों का समग्र ग्रामीण विकास।

7. लक्षित संस्थागत साझेदार एवं संपर्क रणनीति

- **EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (EnKing International):** भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कार्बन डेवलपर कंपनी (मुख्यालय इंदौर)। इनके साथ संयुक्त विकास समझौता (JDA) प्रस्तावित है जिसके तहत वे ऑडिट खर्च वहन कर भविष्य के 25 लाख क्रेडिट्स के बदले प्रारंभिक पूंजी देंगे।
- **साउथ पोल / रेस्पिरा इंटरनेशनल / बूमित्रा:** प्रकृति-आधारित कार्बन समाधानों और उपग्रह आधारित मृदा कार्बन मापन में अग्रणी वैश्विक संस्थाएं।
- **अडाणी ग्रीन एनर्जी / अडाणी फाउंडेशन:** जैसलमेर-बाड़मेर में विशाल सौर व पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित; क्षेत्र में स्थानीय जैव विविधता व जल संरक्षण की अनिवार्य सीएसआर बाध्यता।
- **रिलायंस फाउंडेशन / टाटा ट्रस्ट्स / वेदांता (केयर्न ऑयल):** ग्रामीण आजीविका, पशु कल्याण और जल सुरक्षा में कार्यरत भारत के अग्रणी राष्ट्रीय संस्थान।
- **जिला प्रशासन जैसलमेर एवं उपनिवेशन आयुक्त (IGNP):** अवितरित सरकारी भूमि पर आपातकालीन चारा उत्पादन अनुमति एवं नहर के साइफन जल की अनुमति हेतु।

8. 30 दिवसीय त्वरित क्रियान्वयन रोडमैप

समय-सीमा	रणनीतिक लक्ष्य	उत्तरदायी प्रमुख हितधारक	प्राप्त होने वाले परिणाम
सप्ताह 1 (दिन 1-7)	संस्थागत प्रस्ताव एवं बोर्ड संकल्प	गोवैदिक बोर्ड एवं इस्कोप कार्यकारी समिति	हस्ताक्षरित संयुक्त प्रस्ताव, 2-पेज इन्वेस्टर टीज़र, वित्तीय मॉडल।
सप्ताह 2 (दिन 8-	कार्बन डेवलपर व सीएसआर	गोवैदिक कॉर्पोरेट संपर्क एवं	EKI एनर्जी, साउथ पोल, अडाणी व

15)	संपर्क	निवेशक संबंध टीम	रिलायंस को औपचारिक प्रस्ताव प्रेषण।
सप्ताह 3 (दिन 16-22)	प्रशासनिक ज्ञापन एवं भूमि प्रोटोकॉल	भक्तवत्सल दास एवं हितेशभाई चौधरी	मांगपत्र: (1) भूखंड-2 व भूखंड-3 (7 जिलों का महा-चारा बैंक) की अनुमति, (2) 10,000 मुरब्बे पोंग बांध लीज भूमि हेतु नहर साइफन जल।
सप्ताह 4 (दिन 23-30)	धरातल पर चारा बुवाई (प्रथम 1,000 मुरब्बे)	गोवैदिक फील्ड ऑपरेशंस टीम	जई के प्रमाणित बीजों की खरीद, सौर पंप स्थापना, गोवंश बाड़ा निर्माण।

9. संस्थागत परिचय एवं आधिकारिक संपर्क सूत्र

प्राथमिक संस्थागत संपर्क निर्देशिका

गोवैदिक एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (GOVEDIC AGRO PRIVATE LIMITED)

- कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): U01139RJ2024PTC096470 | कंपनी रजिस्ट्रार: जयपुर (राजस्थान)
- पंजीकृत कार्यालय: मार्फत किशन लाल, ग्राम-काठोड़ी जैसलमेर, राजस्थान - 345001, भारत
- आधिकारिक वेब पोर्टल: <https://govedic.org> | ईमेल: Govedicagriculture@gmail.com
- संपर्क सूत्र: +91 70698 04772 / +91 63516 38571

इंडियन सोसाइटी फॉर काउ प्रोटेक्शन (ISSCOP)

- पंजीकरण संख्या: 16/जैसल/2001 (दिनांक: 28.05.2001, जैसलमेर, राजस्थान)
- मुख्य प्रतिनिधि: भक्तवत्सल दास (भगवान प्रसाद सूत्रधार), संस्थापक एवं सचिव
- शोध आधार: थार मरुस्थल (IGNP जैसलमेर सेक्टर) में शुष्क कृषि एवं गो-पारिस्थितिकी पर 30+ वर्षों का निरंतर जमीनी शोध

“कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।” — श्रीमद्भगवद्गीता 18.44

पवित्र गोवंश का संरक्षण, पृथ्वी का पुनरुद्धार, तथा वैदिक कृषि के माध्यम से सत्यनिष्ठ आर्थिक संतुलन की स्थापना।